रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092020-221872
CG-DL-E-22092020-221872

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 466]	**नई दिल्ली, मंगलवार, सितम्बर 22, 2020/भाद्र 31, 1942**
No. 466]	**NEW DELHI, TUESDAY, SEPTEMBER 22, 2020/BHADRA 31, 1942**

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 सितम्बर, 2020

आय-कर

सा.का.नि. 574(अ).—आयकर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 195 और पहली अनुसूची के नियम 5 के साथ पठित धारा 295 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड आयकर नियम, 1962 का और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात्:-

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ.- (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आयकर (21वां संशोधन), नियम, 2020 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. आयकर नियम, 1962 (जिसे इसमें इसके पश्चात् मूल नियम कहा गया है) के नियम 29ख में,-

(क) **"बैंककारी कंपनी"** शब्दों के स्थान पर, जहां जहां वे आते हैं, "बैंककारी कंपनी या बीमाकर्ता" शब्द रखे जाएंगे;

(ख) उपनियम (5) के पश्चात्, निम्नलिखित स्पष्टीकरण को अंतःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्:-

"स्पष्टीकरण.– इन नियमों के प्रयोजन के लिए, "बीमाकर्ता" का वही अर्थ होगा जो बीमा अधिनियम, 1939 (1938 का 4) की धारा 2 के खंड (9) के उपखंड (घ) में है"।

3. मूल नियम के प्ररूप 15ग के स्थान पर, निम्नलिखित प्ररूप को रखा जाएगा, अर्थात्:-

"प्ररूप सं. 15ग
[नियम 29ख देखें]

कर की कटौती के बिना ब्याज और अन्य राशियों की प्राप्ति के लिए आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 195(3) के अधीन प्रमाणपत्र के लिए किसी बैंककारी कंपनी या बीमाकर्ता द्वारा आवेदन

सेवा में,
निर्धारण अधिकारी,
....

श्रीमान्,

मैं,जो..का प्रधान अधिकारी हूं, यह घोषणा करता हूं कि – [बैंककारी कंपनी या बीमाकर्ता का नाम]

(क) ....एक बैंककारी कंपनी / बीमाकर्ता है, जो न तो कोई भारतीय कंपनी है और न ही ऐसी कोई कंपनी है, जिसने भारत के भीतर लाभांशों की घोषणा और संदाय के लिए विहित व्यवस्था की है और जो...में स्थित शाखा (शाखाओं) के माध्यम से भारत में कार्य कर रही है;

(ख) उक्त कंपनी या बीमाकर्ता का प्रधान कार्यालय...में स्थित है; [स्थान और कंपनी का नाम]

(ग) वित्तीय वर्ष के दौरान उक्त कंपनी या बीमाकर्ता आय-कर अधिनियम, 1961 के उपबंधों के अधीन प्रभार्य ब्याज [(प्रतिभूतियों पर ब्याज (प्रतिभूतियों पर ब्याज से भिन्न)] और ऐसी अन्य राशियां जो लाभांश नहीं हैं, प्राप्त करने के लिए हकदार है;

(घ) कंपनी, आय-कर नियम, 1962 के नियम 29ख में अधिकथित सभी शर्तों को पूरा करती है।

अतः, मैं अनुरोध करता हूं कि उक्त कंपनी या बीमाकर्ता को, वित्तीय वर्ष......................................के दौरान आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 195 की उपधारा (1) के अधीन कर की कटौती के बिना [(प्रतिभूतियों पर ब्याज (धारा 193 के परंतुक में निर्दिष्ट प्रतिभूतियों पर संदेय ब्याज से भिन्न)] ब्याज और ऐसी अन्य को जो लाभांश नहीं है, प्राप्त करने के लिए प्राधिकृत करने वाला एक प्रमाणपत्र जारी किया जाए । मैं यह घोषणा करता हूं कि इस आवेदन में जो कुछ कहा गया है वह ठीक है।

हस्ताक्षर

तारीख..........   पता.................''।

[अधिसूचना सं0 75/2020/फा0सं0 370142/8/2020-टीपीएल]
अंकित जैन, अवर सचिव (कर नीति और विधान प्रभाग)

टिप्पण : मूल नियम, अधिसूचना सं0 का0आ0 969(अ),तारीख 26 मार्च, 1962 द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में प्रकाशित किए गए थे और अंतिम बार अधिसूचना संख्यांक सा.का.नि. 508(अ). तारीख 17.08.2020 द्वारा संशोधित किए गए थे ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF DIRECT TAXE)

NOTIFICATION

New Delhi, the 22nd September, 2020

Incom-Tax

G.S.R. 574(E).-In exercise of the powers conferred by section 295 read with section 195 and rule 5 of the First Schedule to the Income- tax Act, 1961 (43 of 1961), the Central Board of Direct Taxes, hereby, makes the following rules further to amend the Income-tax Rules, 1962, namely:-

1. **Short title and commencement.-** (1) These rules may be called the Income-tax (21st Amendment) Rules, 2020.
(2) They shall come into force from the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Income-tax Rules, 1962 (hereinafter referred to as the principal rules), in rule 29B,—

(a) for the words "banking company", wherever they occur, the words "banking company or an insurer" shall be substituted;

(b) after sub-rule (5), the following explanation shall be inserted, namely —

"*Explanation*.— for the purposes of this rule, "insurer" shall have the same meaning as assigned to it in sub-clause (d) of clause (9) of section 2 of the Insurance Act, 1939 (4 of 1938).".

3. In the principal rules, for Form 15C, the following form shall be substituted, namely,—

"FORM NO 15C
[See rule 29B]

Application by a banking company or insurer for a certificate under section 195(3) of the Income - tax Act, 1961, for receipt of interest and other sums without deduction of tax

To
The Assessing Officer,

____

Sir,

I, _______________, being the principal officer of _________________ [name of the banking company or insurer] hereby declare:

(a) that ____________________is a banking company/insurer which is neither an Indian company nor a company which has made the prescribe d arrangements for the declaration and payment of dividends within India and which is operating in India through a branch(es) at_______________________;

(b) that the head office of the said company or insurer is situated at _______________ [name of the place and country];

(c) that the said company or insurer is entitled to receive interest (other than 'Interest on securities') and other sums not being dividends, chargeable under the provisions of the Income -tax Act, 1961, during the financial year;

(d) that the company fulfills all the conditions laid down in rule 29B of the Income-tax Rules, 1962.

I, therefore, request that a certificate may be issued authorising the said company/insurer to receive interest other than interest on securities (other than interest payable on securities referred to in proviso to section 193) and other sums not being dividends, without deduction of tax under sub-section (1) of section 195 of the Income-tax Act, 1961, during the financial year __________. I hereby declare that what is stated in this application is correct.

Signature

Date ______________________ Address ____________________".

[Notification No. 75/2020/F. No. 370142/8/2020-TPL]

ANKIT JAIN, Under Secy. (Tax Policy and Legislation Division)

Note. The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) *vide* notification number S.O. 969(E), dated the 26th March, 1962 and was last amended *vide* notification number G.S.R. 508 (E), dated 17.08.2020**.**

Uploaded by Dte. of Printing at Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054. MANOJ KUMAR VERMA